राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(48) ग्राविवि–5 / Annual Action Report 2019–20 जयपुर दिनांक 18 जून, 2019

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 के आवटित लक्ष्यानुसार स्वीकृति के संबंध में।
प्रसंग :– विभागीय पत्र दिनांक 04.02.2019 एवं 17.05.2019

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत SECC–2011 के आधार पर तैयार लाभार्थियों की सूची में से ग्राम सभा में 14 मापदण्डों के आधार पर परीक्षण/अनुमोदन उपरान्त जिला क्रियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट कमेटी के अनुमोदन उपरन्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य व अल्पसंख्यक वर्ग की वर्गवार वरीयता सूची जारी की गई है। योजना क्रियान्वयन फ्रेमवर्क के बिन्दू संख्या 3.4, 4.2 एवं 5.2 के अनुसार वर्गवार वरीयता सूची के वरीयता क्रम में आवास स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं योजना क्रियान्वयन फ्रेमवर्क के बिन्दू संख्या 3.4.6 मे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 व दिव्यांगजनों के सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान के मध्य नजर उपलब्धता की स्थिति में 5 प्रतिशत लाभार्थी दिव्यांगजनों मे से हों, इसी क्रम में विभागीय पत्र दिनांक 04.02.2019 द्वारा स्वीकृत आवासों मे से दिव्यांगजनों को 5 प्रतिशत आवास अनिवार्य रूप से स्वीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः पुनः निर्देश है कि वर्ष 2019–20 के आवटित लक्ष्यानुसार स्वीकृति जारी करते समय अनुसूचित जाति, अनसूचित जन जाति, अन्य व अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल दिव्यांगजन को प्राथमिकता से 5 प्रतिशत आवास आवटित किये जावें।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि
2. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव, (ग्राआ) ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।

18/6/19
राज्य नोडल अधिकारी
PMAY-G

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (33)ग्राविवि–5/सां./Guidance/ 2018–19 **जयपुर, दिनांक 05 फरवरी, 2019**

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत दिव्यांगजनों को आरक्षण के प्रावधान के क्रम में।

प्रसंग :– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक J-11014/01/2016-RH दिनांक 11.01.2019 एवं विभागीय पत्र दिनांक 27.03.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र दिनांक 27.03.2018 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण के क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क के पैरा 3.4.6 में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 व दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान के मद्देनजर, उपलब्धता की स्थिति में 5 प्रतिशत लाभार्थी दिव्यांगजनों में से हो, के संशोधन के संबंध में अवगत कराया गया था।

उक्त क्रम में प्रासांगिक पत्र दिनांक 11.01.2019 की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में दिव्यांगजनों को आरक्षण 3 प्रतिशत से बढाकर 5 प्रतिशत किये जाने के प्रावधान की पालना विभागीय पत्र दिनांक 27.3.2018 के अनुसार अनिवार्य रूप से की जावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(के.के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्राविे

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविे एवं पराविे, राजस्थान, जयपुर।
2. उप महानिदेशक (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके प्रासांगिक पत्र के क्रम में।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्राविे

C:\Users\Parag s\Desktop\Nahar SI\MS Word\Guidance.docx

41/6125/2019

No. J-11014/01/2016-RH
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated: 11 January 2019

To,
The Chief Secretary/Additional Chief Secretary/Principal Secretary
All State Governments and UT Administrations
dealing with Pradhan Mantri Awaas Yojana –Gramin (PMAY-G)

Subject: Provisions of reservations for persons with disability under PMAY-G

Sir/Madam,

I am directed to refer to F No. J-11014/01/2016-RH and letter dated 7th March, 2018 of this Department regarding the subject mentioned above and to state that with reference to "The Rights of Persons with Disabilities Act 2016" all the States/UT's were requested to ensure the increase in quota from 3% to 5% of beneficiaries who belong to 'persons with disability'

In this regard, the Department hereby is reiterating its stand with respect to reservation of quota for 'persons with disabilities'. Further, all the States/UT's are requested to adhere to the reservation quota for PMAY-G as mentioned above.

S-O.

10665
01/02/1

31-1-19

Urgent

write a letter to All Distt collector)

1/2/19

Yours faithfully,

(Gaya Prasad)
Deputy Director General (RH)
Tel no: 23388431
Email: gaya.prasad@nic.in

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(51) ग्राविवि / ग्रुप–5 / PMAY-G / गाईडलाईन / 2017–18 जयपुर, दिनांक 27 मार्च, 2018

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन के फ्रेमवर्क में निःशक्त व्यक्ति हेतु 5% तक लाभ निःशक्त व्यक्तियों को दिये जाने बाबत् संशोधन के क्रम में।

प्रसंग :– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र कमांक J-11014/01/2016-RH दिनांक 07.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन के फ्रेमवर्क के पैरा 3.4.6 में निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 2016 व निःशक्त व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रावधान के मद्देनजर निःशक्त व्यक्तियों की उपलब्धता की स्थिति में 5% लाभार्थी निःशक्त व्यक्तियों में से हो, संशोधन किया गया है।

अतः उक्त संबंध में प्रसांगिक पत्र की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के.के.शर्मा)
अधीक्षण अभियंता, ग्राविं

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविं एवं पंराविं।
2- निजी सचिव, शासन सचिव, ग्राविं।
3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्राविं

No.J-11014/01/ 2016-RH

भारत सरकार/Government of India

ग्रामीण विकास मंत्रालय/Ministry of Rural Development

ग्रामीण विकास विभाग/Department of Rural Development

Krishi Bhawan, New Delhi,
Dated 7th March, 2018

To
The Principal Secretary,
Department of Rural Development,
All State Governments and UT Administrations
dealing with Pradhan Mantri Awaas Yojana- Gramin (PMAY-G)

Subject: **Amendment in the Framework for Implementation of PMAY-G for extending 5% reservation for persons with benchmark disabilities under PMAY-G – regarding.**

Sir/ Madam,

I am directed to say that "The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016" came into force from 19.4.2017, and there is an increase in the percentage of reservation for persons with benchmark disabilities. In terms of the provision of the said Act, para 3.4.6 of the Implementation Framework of PMAY-G has been amended. The amended provision is as under:

Existing Provision	Proposed Provision
3.4.6 The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995, provides for social security for persons with disabilities. Accordingly, in the scheme of PMAY-G while deciding the inter-se priority among the beneficiaries who are to be provided assistance, households with any disabled member and no able bodied adult member have been accorded additional deprivation score so that such households are given priority while allotting the houses. Keeping in view of the provisions of the Persons with Disabilities Act, 1995, the States to the extent possible, may ensure that 3% of the beneficiaries at the State Level are from among persons with disabilities.	3.4.6 **The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016** , provides for social security for persons with disabilities. Accordingly, in the scheme of PMAY-G while deciding the inter-se priority among the beneficiaries who are to be provided assistance, households with any disabled member and no able bodied adult member have been accorded additional deprivation score so that such households are given priority while allotting the houses. Keeping in view of the provisions of **The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016**, the States to the extent possible, may ensure that 5% of the beneficiaries at the State Level are from among persons **with benchmark disabilities with priority to women with benchmark disabilities.**

2. It is, therefore, requested that implementation of the above amended provisions may be strictly followed under PMAY-G.

Yours faithfully,

(Prasant Kumar)
Joint Secretary to the Government of India
Tel. No.23389828

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (32) ग्रावि/ग्रुप–5/ सां./पीएमएवाईजी/रिमाण्ड माड्यूल/2018–19 जयपुर, दि. 17 मई 2019

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषय :–प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत स्थाई वरीयता सूची (PWL) में शामिल अपात्र लाभार्थियों को रिमाण्ड मॉडयूल के माध्यम से हटाये जाने के क्रम में।

प्रसंग :– ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 24.10.2017 एवं विभागीय पत्र दिनांक 27.2.17, 11.4.17, 14.11.17 एवं 15.12.17।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत SECC – 2011 के आधार पर तैयार लाभार्थियों की सूची में से ग्राम सभा में 14 मापदण्डो के आधार पर परीक्षण / अनुमोदन उपरान्त जिला कियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट कमेठी के अनुमोदन उपरान्त अनुसूचित जाति , अनुसूचित जन जाति, अन्य व अल्पसंख्यक वर्ग की वर्गवार वरीयता सूची जारी की गई है, जो आवास सॉफ्ट पर रिपोर्ट संख्या E.4 Category - Wise SECC Data Summary of Total Household, Rejected, Priority Setting Done And Appellate Committee" पर प्रदर्शित है। प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के कियान्वयन के फ्रेम वर्क के बिन्दू संख्या 3.4, 4.2 एवं 5.2 के अनुसार वर्गवार वरीयता सूची के वरीयता क्रम में आवास स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

वरीयता सूची में भूमिहीन (भूखण्डहीन) लाभार्थी के शामिल होने पर विभागीय पत्र दिनांक 27.2.17 बिन्दू संख्या 8 के द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृति जारी कर भूखण्ड उपलब्ध/ ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार भूमि का पट्टा उपलब्ध कराने पर प्रथम किश्त हस्तान्तरित कराने बाबत निर्देशित किया गया ।

वर्ष 2016–17 के आवंटित लक्ष्यों की स्वीकृतियां जारी करते समय जिलो द्वारा निरीक्षण /समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि स्थाई वरीयता सूची में काफी संख्या में अपात्र व्यक्ति पाये जा रहे है एवं इनके नाम वरीयता सूची में से हटाये जाने का प्रावधान नहीं है इस कारण लक्ष्यानुसार स्वीकृतियां जारी नहीं हो पा रही है। उक्त के क्रम में विभागीय पत्र दिनांक 27.2.17 द्वारा किसी भी परिस्थिति में अपात्र व्यक्ति को स्वीकृति जारी नहीं करने के निर्देश राज्य स्तर से जारी किये गये।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत विभिन्न स्तरो से अपात्र लाभार्थियो की स्वीकृतियां जारी किये जाने की शिकायते प्राप्त होने पर विभागीय पत्र दिनांक 11.4.17 द्वारा योजनान्तर्गत जारी स्वीकृतियो की रेण्डम आधार पर तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता/संस्थाओं /जिला अधिकारियो के दल से जांच करवाने एवं जांच में पाई गई अपात्र लाभार्थियो की स्वीकृतियो को अविलम्ब निरस्त करने के निर्देश प्रदान किये गये।

सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से वरीयता सूची में शामिल अपात्र परिवारों को हटाये जाने के प्रावधान हेतु विभागीय पत्र दिनांक 19.4.17 द्वारा आग्रह किया गया। ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्रांक 24.10.17 अपात्र लाभार्थियो के नाम वरीयता सूची से Delition हेतु रिमाण्ड मॉडयूल का प्रावधान किया गया ,जिसके क्रम मे सभी जिलो को उक्त पत्र में निर्धारित प्रक्रियानुसार अपात्र व्यक्तियो के नाम

हटाये जाने हेतु कार्यवाही करने हेतु दिनांक 14.11.17 को विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किये गये।

रिमाण्ड मॉडयूल के अंतर्गत जिलो द्वारा समुचित संख्या में प्रकरणों को दर्ज नहीं किये जाने की समीक्षा जिला आवास प्रभारियों की बैठक दिनांक 1.5.19 में की गई एवं जिलो द्वारा अपात्र व्यक्तियो को रिमाण्ड मॉडयूल से ऑनलाईन दर्ज करने एवं संबंधित लाभार्थी के इस बाबत दस्तावेज दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त की ही दिनांक 14.5.19 को मुख्य कार्यकारी अधिकारियो की समीक्षा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग मे की गई , जिसमें राज्य के 6 जिलों बांसवाडा, बांरा, भरतपुर, बून्दी, डूंगरपुर एवं जैसलमेर द्वारा एक भी प्रकरण दर्ज नहीं किये जाने एवं अन्य 27 जिलो द्वारा मात्र 28366 प्रकरण ही दर्ज किये गये है, की समीक्षा की गई। जिलों द्वारा कम प्रकरणो के क्रम में पंचायत समितियों द्वारा अपात्र व्यक्ति नहीं होने / प्रकरण प्रेषित नहीं किया जाना अवगत कराया गया।

उक्त के क्रम में राज्य स्तर से आवास सॉफ्ट पर प्रदर्शित एक ग्राम पंचायत शोकलिया, पंचायत समिति सरवाड, जिला अजमेर की निम्न दो रिपोर्ट के अधार पर समीक्षा की गई –

'E.4 Category - Wise SECC Data Summary of Total Household, Rejected, Priority Setting Done And Appellate Committee" 'H. Social Audit Reports Beneficiary details for verification "

उक्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत में अनुसूचित जन जाति वर्ग के 7 अनुसूचित जाति वर्ग का 1 एवं अन्य वर्ग के 13 कुल 21 लाभार्थियो को स्वीकृति वर्ष 2018–19 तक जारी होना पाया गया, जिसकी पुष्टि आवास सॉफ्ट की रिपोर्ट C.2 Category-wise houses sanctioned and completed से की गई।

उक्त रिपोर्टो की समीक्षा में पाया गया कि अनुसूचित जन जाति के कुल 7 लाभार्थियों को स्वीकृति जारी की गई है, जिसका अंतिम वरीयता क्रमांक 14 है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के कुल 1 लाभार्थी को स्वीकृति जारी की गई है, जिसका अंतिम वरीयता क्रमांक 2 है एवं अन्य वर्ग में कुल जारी 13 स्वीकृतियों में अंतिम वरीयता क्रमांक 42 है, जिसके अनुसार अनुसूचित जन जाति वर्ग के 7 लाभार्थियो, अनुसूचित जाति वर्ग के 1 एवं अन्य वर्ग के 29 लाभार्थी एवं वरीयता क्रमांक 1, 2 एवं 3 पर दो – दो परिवार शामिल है। अतः इस प्रकार अंतिम वरीयता क्रमांक 42 सहित कुल 13 स्वीकृतियां जारी करने के उपरान्त 42 – 13 = 29 + 3 =32 लाभार्थियों को वरीयता क्रम में Skip किया गया है। उपरोक्त सभी 7+1+32 कुल 40 लाभार्थी अपात्र मान कर स्वीकृतियां जारी की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2019–20 के अंतर्गत 3.64 लाख के लक्ष्य जिलेवार, वर्गवार आवंटित कर दिये गये है, योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों को ही वरीयता क्रमांक में स्वीकृति जारी किये जाने की सुनिश्चिता के मद्देनजर काफी संख्या में वरीयता सूची में शामिल अपात्र व्यक्तियो के नाम रिमाण्ड मॉडयूल द्वारा जिलो स्तर से ऑनलाईन दर्ज किया जाना आवश्यक है।

अतः आप अपने स्तर से रिमाण्ड मॉडयूल पर अपात्र लाभार्थियों के नाम दर्ज किये जाने की समीक्षा करे एवं यदि समीक्षा में वरीयता क्रम के परिवारों को Skip कर अगले वरीयता क्रम के लाभार्थी को लाभान्वित किये जाने के प्रकरण में प्रकाश मे आवे तो दोषी अधिकारी एवं कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही भी अमल में लाई जावे।

जिला स्तर से रिमाण्ड मॉडयूल के अंतर्गत दर्ज होने योग्य प्रकरणो की संख्या का आंकलन निम्नानुसार किया जा सकता है।

1. आवास सॉफ्ट पर ग्राम पंचायतवार प्रदर्शित निम्न तीन रिपोर्टो को डाउनलोड किया जावे। 'E.4 Category - Wise SECC Data Summary of Total Household, Rejected, Priority Setting Done And Appellate Committee" 'H. Social Audit Reports Beneficiary details for verification " C.2 Category-wise houses sanctioned and completed।
2. उक्त तीनों रिपोर्ट के आधार पर संकलित कर वर्गवार अंतिम वरीयता कमांक जिसको स्वीकृति जारी की गई है के उपर प्रदर्शित लाभार्थियो की संख्या जिन्हे स्वीकृति जारी नहीं है को जोड कर कुल रिमाण्ड माडयूल के प्रकरण अनुमानित किये जा सकते है। उदाहरणार्थ संलग्न ग्राम पंचायत के अंतर्गत इनकी संख्या अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग में कमशः 7, 1 एवं 32 कुल 40 है।

उक्तानुसार जिला स्तर से पंचायत समिति वार प्रकरणों को पंचायत समिति भेज कर लाभार्थियो के नाम के समुख उनकी अपात्रता का कारण व दस्तावेज मंगवाकर ऑनलाईन रिमाण्ड मॉडयूल पर दर्ज करावे, जिससे योजना के दिशा – निर्देशानुसार वरीयता कम में ही स्वीकृतियां लक्ष्य अनुसार समयबद्ध सुनिश्चित हो सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।

स्टेट नोडल अधिकारी, PMAY-G

Cases to be Remanded to Gram Sabha Report as on 15-5-19

#SNo	District Name	Request from district	Approved by state	Send to gram sabha	Verified by state
	Total	**28885**	**10390**	**374**	**0**
1	AJMER	755	0	0	0
2	ALWAR	46	46	0	0
3	BANSWARA	0	0	0	0
4	BARAN	0	0	0	0
5	BARMER	34	34	0	0
6	BHARATPUR	0	0	0	0
7	BHILWARA	3279	1546	0	0
8	BIKANER	182	144	0	0
9	BUNDI	0	0	0	0
10	CHITTORGARH	3905	1084	0	0
11	CHURU	124	124	0	0
12	DAUSA	761	761	0	0
13	DHOLPUR	14	0	0	0
14	DUNGARPUR	0	0	0	0
15	HANUMANGARH	15	0	0	0
16	JAIPUR	3241	1763	185	0
17	JAISALMER	0	0	0	0
18	JALORE	3525	378	0	0
19	JHALAWAR	1	1	1	0
20	JHUNJHUNU	46	0	0	0
21	JODHPUR	1418	1418	48	0
22	KARAULI	277	277	0	0
23	KOTA	2	0	0	0
24	NAGAUR	121	119	103	0
25	PALI	2060	0	0	0
26	PRATAPGARH	1790	110	28	0
27	RAJSAMAND	386	321	9	0
28	SAWAI MADHOPUR	941	192	0	0
29	SIKAR	1364	212	0	0
30	SIROHI	3	0	0	0
31	SRI GANGANAGAR	1539	403	0	0
32	TONK	5	0	0	0
33	UDAIPUR	3051	1457	0	0
	Total	**28885**	**10390**	**374**	**0**

रिमाण्ड मॉडयूल पर ऑनलाईन दर्ज कराने हेतु
अपात्र लाभार्थियो की
आवास सॉफ्ट पर ऑनलाईन उपलब्ध रिपोर्ट से पहचान की प्रकिया –

1. आवास सॉफ्ट की रिपोर्ट 'E.4 Category - Wise SECC Data Summary of Total Household, Rejected, Priority Setting Done And Appellate Committee" के द्वारा ग्राम पंचायत की वर्गवार (अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य वर्ग) की वरीयता डाउन्लोड कर प्रिन्ट लेवे। रिपोर्ट नम्बर 1 संलग्न है।
2. आवास सॉफ्ट की रिपोर्ट 'H Social Audit Report ..." के द्वारा ग्राम पंचायत की वर्ष वार (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) की स्वीकृतियों की सूची डाउन्लोड कर प्रिन्ट लेवे। रिपोर्ट नम्बर 2 सलग्न है।
3. उक्त रिपोर्ट नम्बर 2 के आधार पर रिपोर्ट नम्बर 1 स्थाई वरीयता सूची में संबंधित वर्ग की सूची अलग–अलग कर आगे अतिरिक्त 3 नये कॉलमों में स्वीकृति अनुसार निम्नानुसार विवरण दर्ज करे

SNo	Registration No	Beneficiary Name	Father Name	Mother Name	Category	Priority	Sanction S.no	Year	
1	[illegible]	NEELA DEVI	HEERA LAL	RAJI	ST	1	14	17-18	
2	[illegible]	GULABI DEVI BHIL	RAM LAL	DHAPU	ST	2	5	16-17	
3		GEETA DEVI	GOVARDHAN	RAJI	ST	3	9	17-18	
4		TEJU BHIL	SURAJ MAL	RAJI DEVI	ST	4	not sanctioned		Please check for online remand
5		RAM DEV BHIL	NANDARAM	GULAB	ST	5	not sanctioned		
6		KANI BHIL	KISHANA	HAGAMI	ST	6	not sanctioned		
7		SOHANI	BIRDA BHIL	GHISI	ST	7	19	17-18	
8		CHOTU BHEEL	LADU	RAJI	ST	8	not sanctioned		Please check for online remand
9		KALU	TEJU	NANDU	ST	9	not sanctioned		
10		LALI DEVI	ROOPA	JASSA	ST	10	11	17-18	
11		NANDARAM BHIL	HEERO	RAMUDI	ST	11	not sanctioned		Please check for online remand
12		SORAJ BHIL	KUNANA	KAMLA	ST	12	not sanctioned		
13	[illegible]	GHISI	CHANDRA	BAKHTI	ST	13	10	17-18	
14		PANI DEVI	HAJARI	SUGANI	ST	14	15	17-18	
15	[illegible]	LALA	RAMKARAN	RADHA	ST	15		.	
16		PANCHI DEVI	NARO BHIL	CHANDNI	ST	16			

उक्तानुसार शोकलिया ग्राम पंचायत में ST वर्ग के 16 लाभार्थियो में से अब तक 7 लाभार्थियो को आवास स्वीकृत किये गये है जिसका अंतिम वरीयता कमाक 14 है। उक्त सूची में कम सं. 4,5,6,8,9,11 एवं 12 कुल 7 की स्वीकृति जारी नहीं होना अपात्रता के कारण को दर्शाता है। विस्तृत विवरण संलग्न है।

4. उक्तानुसार अस्वीकृत लाभार्थियो की पंचायतवार सूची पंचायत समिति को सत्यापन हेतु प्रेषित कर कराकर स्वीकृत नहीं करने के कारण के साथ निर्धारित सूचना /दस्तावेज आवास सॉफ्ट पर रिमाण्ड मॉडयूल में दर्ज करावे।
5. उक्तानुसार स्पष्ट है कि रिमाण्ड मॉडयूल हेतु अपात्र लाभार्थियो के चिन्हिकरण की सूचना जिला स्तर से आवाससॉफ्ट से संकलित कराकर तदनुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी है।
6. ग्राम पंचायतवार /वर्गवार रिमाण्ड मॉडयूल हेतु अपात्र व्यक्तियों की अनुमानित गणना –

जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	वर्ग	स्थाई वरीयता सूची में लाभार्थियों की संख्या	स्वीकृत आवासों में स्थाई वरीयता सूची का अंतिम कमाक	कुल जारी स्वीकृत	वरीयता कम में संलग्न सूची अनुसार छोड़े गये लाभार्थियों की संख्या	रिमाण्ड मॉडयूल में ऑनलाईन दर्ज परिवार	[illegible]
अजमेर	सरवाड़	शोकलिया	ST	16	14	7	7		
			SC	8	2	1	1		
			others	51	42+3*	13	29+3 =32		
				75		21			

*ग्राम पंचायत में एक ही वरीयता कमांक 1,2 एवं 3 पर दो – दो परिवार शामिल है। अतः इस प्रकार अंतिम वरीयता कमांक 42 सहित कुल 13 स्वीकृतियां जारी करने के उपरान्त 42 – 13 = 29 + 3 =32 रिमाण्ड मॉडयूल हेतु सामान्य वर्ग में अपात्र है।